29/7/15 पत्रावली पेश हुई। उ०प० [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–5/20 तारीख रजु:–14.02.2020

रामस्वरूप उर्फ लाल पुत्र स्व0 हरकिशन आयु 63 साल जाति माली निवासी करौली तहसील व जिला करौली

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र जतन आयु 75 साल
2. रोशन पुत्र जतन आयु 65 साल
3. बत्तू पुत्र जतन आयु 58 साल
4. परसादी पुत्री चौथ्या आयु 75 साल
5. नेहरू पुत्र चौथ्या आयु 60 साल
6. मुंशी पुत्र चौथ्या आयु 56 साल

(1–6) जातियान माली निवासीयान आमन के पास आमनपुरा मासलपुर रोड करौली तहसील व जिला करौली

7. देवली पुत्री चौथ्या पत्नी भगवत आयु 70 साल जाति माली निवासी दुर्गेसी करौली
8. मन्नी पुत्री चौथ्या पत्नी रामजीलाल आयु 66 साल जाति माली निवासी खादी भण्डार के पीछे करौली
9. किस्तूरी पुत्री चौथ्या पत्नी परसराम आयु 55 साल जाति माली निवासी आमन का पुरा मासलपुर रोड करौली
10. मुरारी पुत्र हाबू आयु 62 साल
11. गोपी पुत्री हाबू आयु 58 साल

(10–11) जाति माली निवासी आमनकापुरा मासलपुर रोड करौली तहसील व जिला करौली

12. मानबाई पुत्री हाबू पत्नी रामगोपाल आयु 70 साल जाति माली निवासी गूनेसरा तहसील व जिला करौली
13. धारासिंह आयु 30 साल
14. ध्रुवसिंह आयु 28 साल
15. अनारसिंह आयु 26 साल
16. विजयसिंह आयु 24 साल

(13–16) पुत्रान रामजीलाल जातियान माली निवासीयान सैनी कॉलोनी माधोपुर रोड गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर

17. गीता पुत्री रामजीलाल आयु 32 साल
18. शंकर बाई पुत्री रामजीलाल आयु 30 साल
19. गुड्डी पुत्री रामजीलाल आयु 22 साल

(17–19) जाति माली निवासी सैनी कॉलोनी माधोपुर रोड गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी

20. शीला पुत्री रामजीलाल आयु 20 साल
21. मीना पुत्री रामजीलाल आयु 18 साल
    जातियान माली निवासीयान सैनी कॉलोनी माधोपुर रोड गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर रोड
22. हल्की पत्नी रोशन आयु 60 साल
23. मोहरो पत्नी बत्तू आयु 56 सा

(22–23) जाति माली निवासीयान भौडेरा करौली तह व जिला करौली

24. सन्तोष बाई पत्नी मोहनसिंह आयु 50 साल जाति माली निवासी मौजगिर का अखाडा करौली तहसील व जिला करौली
25. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली

–अप्रार्थीयान

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक:– 29/9/25

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह आवेदन धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

2097 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा ख0नं0 2098 रकबा 1बीघा 8बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2बीघा 17 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 8 तहसील करौली में स्थित है । उक्त आराजीयात संवत् 2060 –2063 में प्रार्थी के पिता हरकिशन पुत्र लुक्कू व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 व 4 ता 12 के पिता गण चौथ्या, हाबू पुत्रान झण्डू के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जिसमें से 1/3 हिस्सा प्रार्थी के पिता हरकिशन ने अप्रार्थी नं0 14 व 15 तथा गीता देवी पत्नि भीमसिंह माली निवासी भोडेरा को विक्रय कर दिया और दिनांक 21.05.2005 को 1/3 हिस्से का बयनामा हरकिशन द्वारा अप्रार्थी नं0 22 व 23 तथा गीता देवी पत्नि भीमसिंह के हक में पंजीयन करा दिया और बयनामा अनुसार अप्रार्थी नं0 22 व 23 एवं गीता देवी के हक में नामान्तकरण नं0 1160 दिनांक 05.12.2005 को हुआ है। शेष हिस्सा 1/6 प्रार्थी के पिता का बदस्तूर रहा है। सबूतन नकल जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 व नकल नामान्तकरण संख्या 1160 दिनांक 05.12.2005 एवं नकल बयनामा दिनांक 21.05.2005 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। जमाबन्दी सम्वत 2064से 2067 बनाते समय राजस्व कर्मियों एवं अप्रार्थी नं0 25 ने अनाधिकार तौर पर अप्रार्थी नं0 1 ता 3 व अप्रार्थी नं0 4 ता 12 के पिता गण चौथ्या व हाबू का 2/3 हिस्सा दर्ज किया है। जबकि आराजीयात में अप्रार्थी नं0 1ता 3 व अप्रार्थी नं0 4 ता 12 के पितागण चौथ्या व हाबू का 1/2 हिस्सा जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 के अनुसार रहा है। और 1/3 हिस्सा अप्रार्थी नं0 22 व 23 एवं गीता देवी का सही दर्ज हुआ था। जिसे राजस्व कर्मियों ने अनाधिकार तौर पर अप्रार्थी नं0 1 ता 3 व 4 ता 12 के पिता गण चौथ्या हाबू पुत्रान झण्डू के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त इंद्राज जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 अनाधिकार है। सहवन भूल है। और तकनीकि त्रुटि है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराकर अपने पिता हरकिशन पुत्र लुक्कू के हक में 1/6 हिस्से के खातेदारी इंद्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दुरस्त कराकर इंद्राज अमल

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

कराने का अधिकारी है। सम्वत 2071 में गीता देवी ने अपना 1/9 हिस्सा अप्रार्थी नं0 1 के 2/81 हिस्सा के साथ अप्रार्थी नं0 24 संतोषवाई को विकय किया है। जिसके इन्द्राज नामान्तकरण नं0 2058 दिनांक 25.03.2014 से संतोषवाई के हक में 4/81 हिस्सा के दर्ज हुए हैं। जमाबन्दी 2068 से2071 व सम्वत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। प्रार्थी मृतक हरकिशन का पुत्र है वैध वारिस है। अप्रार्थी नं0 13 ता 21 सोमोती पुत्री हाबू पत्नि रामजीलाल के वारिसान हैं। हरकिशन व सोमोती का स्वर्गवास हो चुका है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीयान के बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीयान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी ख0नं0 2097 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा ख0नं0 2098 रकबा 1बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 8 तहसील करौली में स्थित है । उक्त आराजीयात संवत् 2060—2063 में प्रार्थी के पिता हरकिशन पुत्र लुक्कू व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 व 4 ता 12 के पिता गण चौथ्या, हाबू पुत्रान झण्डू के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जिसमें से 1/3 हिस्सा प्रार्थी के पिता हरकिशन ने अप्रार्थी नं0 14 व 15 तथा गीता देवी पत्नि भीमसिंह माली निवासी भोडेरा को विक्रय कर दिया और दिनांक 21.05.2005 को 1/3 हिस्से का बयनामा हरकिशन द्वारा अप्रार्थी नं0 22 व 23 तथा गीता देवी पत्नि भीमसिंह के हक में पंजीयन करा दिया और बयनामा अनुसार अप्रार्थी नं0 22 व 23 एवं गीता देवी के हक में नामान्तकरण नं0 1160 दिनांक 05.12.2005 को हुआ है। शेष हिस्सा 1/6 प्रार्थी के पिता का बदस्तूर रहा है। सबूतन नकल जमाबन्दी सम्वत 2060—2063 व नकल नामान्तकरण संख्या 1160 दिनांक 05.12.2005 एवं नकल बयनामा दिनांक 21.05.2005 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। जमाबन्दी सम्वत 2064से 2067 बनाते समय राजस्व कर्मियों एवं अप्रार्थी नं0 25 ने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

अनाधिकार तौर पर अप्रार्थी नं0 1 ता 3 व अप्रार्थी नं0 4 ता 12 के पिता गण चौथ्या व हाबू का 2/3 हिस्सा दर्ज किया है। जबकि आराजीयात में अप्रार्थी नं0 1ता 3 व अप्रार्थी नं0 4 ता 12 के पितागण चौथ्या व हाबू का 1/2 हिस्सा जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 के अनुसार रहा है। और 1/3 हिस्सा अप्रार्थी नं0 22 व 23 एवं गीता देवी का सही दर्ज हुआ था। जिसे राजस्व कर्मियों ने अनाधिकार तौर पर अप्रार्थी नं0 1 ता 3 व 4 ता 12 के पिता गण चौथ्या हाबू पुत्रान झण्डू के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त इंद्राज जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 अनाधिकार है। सहवन भूल है। और तकनीकि त्रुटि है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराकर अपने पिता हरकिशन पुत्र लुक्कू के हक में 1/6 हिस्से के खातेदारी इंद्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दुरस्त कराकर इंद्राज अमल कराने का अधिकारी है। सम्वत 2071 में गीता देवी ने अपना 1/9 हिस्सा अप्रार्थी नं0 1 के 2/81 हिस्सा के साथ अप्रार्थी नं0 24 संतोषवाई को विक्रय किया है। जिसके इन्द्राज नामान्तकरण नं0 2058 दिनांक 25.03.2014 से संतोषवाई के हक में 4/81 हिस्सा के दर्ज हुए हैं। जमाबन्दी 2068 से2071 व सम्वत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। प्रार्थी मृतक हरकिशन का पुत्र है वैध वारिस है। अप्रार्थी नं0 13 ता 21 सोमोती पुत्री हाबू पत्नि रामजीलाल के वारिसान हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे।

बहस वकील प्रार्थी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं नामान्तकरणों का एवं बयनामा दिनांक 21.05.2005 का अवलोकन कर विवेचन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 में प्रार्थी के पिता हरकिशन का 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 3 के पिता व 4 ता 12 के पिता एवं अप्रार्थी नं0 12 ता 21 के नाना चौथ्या व हाबू पुत्रान झण्डू के हक में 1/2 हिस्से के खातेदारी इंद्राज दर्ज है। प्रार्थी के पिता द्वारा अप्रार्थी नं0 22 व 23 एवं गीता देवी पत्नि भीमसिंह जाति माली निवासी भोडेरा को दिनांक 21.05.2005 को 1/3 हिस्सा का ही रजिस्टर विक्रय पत्र से भूमि विक्रय की गई है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकार निहित है। जिसे चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 तैयार करते समय गलत तौर पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से इंद्राज हटाया गया है। एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 21 के पिता व पितामह एवं नाना व अप्रार्थी नं0 1 ता 21 के हक में गलत तौर पर 2/3 हिस्सा दर्ज किया गया है। जो मात्र एक लिपिकीय सहवन भूल है। एवं तकनीकि त्रुटि है। एवं अप्रार्थी नं0 1 का भूमि में 1/81 हक है। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नं0 24 को 2/81 हिस्सा गलत विक्रय किया गया है। गीता देवी द्वारा अपना 1/9 हिस्सा अप्रार्थी नं0 24 को सही विक्रय किया गया है। प्रार्थी अपने पिता का 1/6 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 के अनुसार दुरस्त कराकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हरकिशन के हक में 1/6 हिस्से के खातेदारी इंद्राज अमल कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपने पिता हरकिशन पुत्र लुक्कू के हक में 1/6 हिस्से के खातेदारी इंद्राज दुरस्त कराकर अमल कराने का अधिकारी है। एवं अप्रार्थी नं0 2 ता 9 का 8/36 हिस्सा एवं अप्रार्थी नं0 10 ता 21 का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी नं0 22 का 1/9 हिस्सा एवं अप्रार्थी नं0 23 का 1/9 हिस्सा अप्रार्थी नं0 24 का 5/36 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दुरस्त कराकर अमल कराने का अधिकारी है। एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 8 का नाम हजफ कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी नं. 25 तहसीलदार करौली इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी इंद्राज दुरस्त कर अमल करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/2/15 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)